GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS रेल मंत्रालय
(RAILWAY BOARD रेलवे बोर्ड)

No. 2021/H-1/11/10/MoU

New Delhi, dated 11.03.2022

The Pr. Chief Medical Director,
Central Railway,
Mumbai.

Sub: Accountal of private hospital bills of Railway patients of other Zones.
Ref: CR's letter no. G.402.Bud/Med/Add.Funds/Tie up Hosp./2022 dated 27.01.2022.

Central Railway's letter mentioned under reference above has been examined and in this regard it is stated that instructions regarding accountal of expenditure of treatment of Railway medical beneficiaries issued vide Railway Board's letter no. 2021/H-1/11/10/MoU dated 12.01.2022, is in compliance of Transformation Cell's letter no. 2018/Trans Cell/Health/CGHS dated 16.06.2021.

This letter has been issued with the approval of Finance Directorate/Railway Board that signifies the projection of funds based on the expenditure incurred previously.

Hence, accountal of expenditure of treatment and projection of funds required may be done accordingly.

(P. M. Meena / पी. एम. मीणा)
Joint Director/Health(संयुक्त निदेशक/ स्वास्थ्य)
Railway Board (रेलवे बोर्ड)
Ministry of Railways (रेल मंत्रालय)
Tele.No.: 011-47854222

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
/रेलवे बोर्ड)RAILWAY BOARD)

सं.2021/एच-1/11/10/एमओयू

नई दिल्ली, दिनांक: 11.03.2022

प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक,
मध्य रेलवे,
मुंबई।

विषय: अन्य जोनों के रेलवे रोगियों के निजी अस्पताल के बिलों का लेखा-जोखा

संदर्भ: मध्य रेलवे का दिनांक 27.01.2022 का पत्र सं. जी.402.बद/मेड/एडीशनल फंडस/टाइअप हॉस्पिटल /2022

मध्य रेलवे के उपर्युक्त संदर्भाधीन पत्र की जांच की गई है और इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि रेलवे चिकित्सा लाभार्थियों के उपचार के खर्च के लेखे-जोखे से संबंधित अनुदेश रेलवे बोर्ड के दिनांक 12.01.2022 के पत्र सं. 2021/एच-1/11/10/एमओयू के तहत जारी किए गए हैं, जो रूपांतरण सेल के पत्र सं. 2018/ ट्रांस्फ़ॉर्मेशन सेल/हैल्थ/सीजीएचएस के अनुपालन में है।

इस पत्र को वित्त निदेशालय/रेलवे बोर्ड के अनुमोदन से जारी किया गया है जो पहले किए गए खर्च के आधार पर निधियों के प्रक्षेपण को दर्शाता है।

अतः, उपचार के खर्च और अपेक्षित निधियों के प्रक्षेपण का लेखा-जोखा तदनुसार किया जाए।

(पी.एम. मीणा)
संयुक्त निदेशक/ स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड
रेल मंत्रालय
टेली.नं.:011-47854222